न्यायाधिकारी–ग्राम न्यायालय, नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं (राज०)

पीठासीन अधिकारी	–	सतीश फानिन (आर.जे.एस.)
नियमित आपराधिक प्रकरण संख्या	–	28/2024
सीआईएस रजिस्ट्रेशन संख्या	–	28/2024
सी०एन०आर० नंबर	–	RJJH140000792024
प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या	–	06/2024, पुलिस थाना मुकुंदगढ़

राजस्थान राज्य बनाम अरूण उर्फ पिंकेश

अपराध अंतर्गत धारा 323, 341 भारतीय दण्ड संहिता

भाग–प्रथम

A

परिवादिया	श्रीमति संतरा देवी
प्रस्तुतकर्ता	राजस्थान राज्य जरिये सहायक अभियोजन अधिकारी श्री विकास शर्मा
अभियुक्त का नाम व पता	अरूण कुमार उर्फ पिंकेश पुत्र भागीरथमल, उम्र 29 वर्ष, निवासी नाहरसिंघानी, पुलिस थाना मुकुंदगढ़, जिला झुंझुनूं, राजस्थान।
अधिवक्ता अभियुक्त	श्री आशीष बुगालिया
अधिवक्ता परिवादी	----------

B

अपराध की दिनांक	19.10.2023
प्रथम सूचना रिपोर्ट की दिनांक	08.01.2024
आरोप पत्र प्रस्तुत करने की दिनांक	06.02.2024
आरोप विरचित किये जाने की दिनांक	06.02.2024
साक्ष्य प्रारंभ की दिनांक	06.04.2024
निर्णय दिनांक	06.08.2026
दण्डादेश की दिनांक	-------

C

अभियुक्त का विवरण

क्र. सं.	अभियुक्त का नाम	गिरफ्तारी की दिनांक	जमानत पर रिहा होने की दिनांक	अभियुक्त पर आरोप का विवरण	दोषमुक्त अथवा दोषसिद्ध	दिये गये दण्ड का विवरण (यदि को हो तो)	धारा 428 दं.प्र.सं. के परिप्रेक्ष्य हेतु अवधि
1.	अरूण कुमार उर्फ पिंकेश	–	–	341, 323 भा.द.स.	दोषमुक्त	–	–

भाग–द्वितीय

अभियोजन साक्षियों की सूची

साक्षी का क्रम	साक्षी का नाम	साक्ष्य की प्रकृति
पी.डब्ल्यू 1	संतरा देवी	आहता/परिवादिया
पी.डब्ल्यू 2	सचिन	आहत/चक्षुदर्शी गवाह
पी.डब्ल्यू 3	डॉ. चंद्रशेखर	चिकित्सीय गवाह
पी.डब्ल्यू 4	कानाराम	अनुसंधान अधिकारी

अभियोजन प्रदर्शों की सूची

प्रदर्श का क्रम	प्रदर्श संख्या	प्रदर्श का विवरण
01	प्रदर्श पी.01	इस्तागासा अंतर्गत धारा 156 (3)दंड प्रक्रिया संहिता
02	प्रदर्श पी.02	इस्तगासा शपथ पत्र
03	प्रदर्श पी.03	चाक एफ.आई.आर.
04	प्रदर्श पी.04	नक्शा मौका घटनास्थल
05	प्रदर्श पी.05	चोट प्रतिवेदन प्रपत्र आहता संतरा देवी
06	प्रदर्श पी.06	चोट प्रतिवेदन प्रपत्र आहत सचिन कुमार

प्रतिरक्षा

प्रदर्श का क्रम	प्रदर्श संख्या	प्रदर्श का विवरण
1.	प्रदर्श डी. 1	बयान अंतर्गत धारा 161 सीआरपीसी संतरा देवी
2.	प्रदर्श डी. 2	बयान अंतर्गत धारा 161 सीआरपीसी सचिन कुमार

न्यायालय प्रदर्श

प्रदर्श का क्रम	प्रदर्श संख्या	प्रदर्श का विवरण
निल		

–:निर्णय:– **दिनांक: 06.08.2026**

1. संक्षेप में अभियोजन कहानी इस प्रकार है कि दिनांक 19.10.2023 को प्रार्थीया सुबह दस बजे अपने घर के सामने से सड़क बना रहे ठेकेदार से सड़क को सही बनाने के लिए कह रही थी उसी समय वहां अरूण कुमार उर्फ पिंकेश आया और उसे गाली–गलौच करते हुए उसका गला पकड़कर उससे मारपीट की जिससे उसके शरीर पर अनेक जगह चोटें आयी। उस समय उसे बचाने के लिए उसका बेटा सचिन वहां दौड़कर आया तो अरूण कुमार ने उसके पुत्र के साथ भी मारपीट की एवं उसे भी लात घूसों से पीटा जब अरूण कुमार उसे व उसके पुत्र को पीट रहा था उस समय वहां मौजूद शिव प्रसाद ने उन्हें छुड़वाया। उक्त मारपीट से उसके व उसके पुत्र के शरीर पर काफी चोटें आयी। मारपीट के दौराने ही उसके कानों की दो बाली व उसका मंगलसूत्र भी अरूण कुमार ने छिन लिया। इस घटना की रिपोर्ट उसने दिनांक 20.10.2023 को पीएस मुकुंदगढ़ में पेश की परंतु थानाधिकारी ने उसकी रिपोर्ट दर्ज नहीं की। पीएस मुकुंदगढ़ द्वारा रिपोर्ट दर्ज नहीं करने पर उसने जरिये रजिस्टर्ड पोस्ट दिनांक 04.11.2023 को जिला पुलिस अधीक्षक महोदय, झुंझुनूं को एक प्रार्थना–पत्र प्रेषित किया। इसके बावजूद भी पीएस मुकुंदगढ़ ने उसकी रिपोर्ट दर्ज नहीं की। अतः प्रार्थीया को इस्तगासा पेश करना आवश्यक हुआ, इत्यादि.....।"

2. उक्त रिपोर्ट के आधार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 06/2024 अन्तर्गत अंतर्गत धारा 323, 341 भारतीय दण्ड संहिता में दर्ज कर अनुसंधान प्रारम्भ किया गया। बाद अनुसंधान अभियुक्त के विरूद्ध अपराध अंतर्गत धारा 323, 341 भारतीय दण्ड संहिता का अपराध प्रमाणित पाये जाने पर आरोप पत्र इस न्यायालय में दिनांक 06.02.2024 को पेश किया गया, जिस पर उक्त धाराओं में दिनांक 06.02.2024 को प्रसंज्ञान लिया गया।

3. अभियुक्त को धारा 323, 341 भारतीय दंड संहिता का आरोप सारांश दिनांक 06.02.2024 को मौखिक रूप से सुनाया व समझाया गया तो अभियुक्त ने जुर्म से इंकार कर अन्वीक्षा चाही।

4. अभियोजन पक्ष की ओर से प्रकरण को साबित करने के लिए पृष्ठ संख्या–02 पर भाग द्वितीय में वर्णित गवाहान के बयान करवाये गये व पृष्ठ संख्या–02 पर भाग 'अ' में वर्णित दस्तावेजात प्रदर्शित करवाये गये।

5. अभियोजन साक्ष्य समाप्त होने पर अभियुक्त के कथन अंतर्गत धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता लेखबद्ध किये गये, जिसमें अभियुक्त ने स्वयं को निर्दोष होना व झूंठा फंसाया जाने का कथन किये है एवं प्रतिरक्षा में कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं करना जाहिर किया, जिस पर साक्ष्य सफाई का अवसर बंद किया गया।

6. बहस अंतिम सुनी गई। दौराने बहस विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी ने अभियोजन मामला अभियुक्त के विरूद्ध संदेह से परे साबित हाने के आधार पर अभियुक्त को दोषसिद्ध कर सजायाब किये जाने का निवेदन किया।

7. वहीं, दूसरी ओर विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त ने तर्क दिया है कि प्रकरण में गवाहान के बयान विरोधाभासी है। अतः अभियुक्त को दोषमुक्त घोषित किया जावे।

8. बहस उभय पक्षकारान सुनी गई। उभय पक्षों के तर्कों पर मनन किया गया। पत्रावली व संबंधित विधि का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया।

9. उक्त प्रकरण के निस्तारण हेतु न्यायालय के समक्ष निम्न बिन्दु विचारणीय हैः–

(1) **आया अभियुक्त ने दिनांक 19.10.2023 को समय 10.00 एएम बजे या उसके लगभग ग्राम नाहरसिंघानी में परिवादिया संतरा देवी की व उसके पुत्र सचिन कुमार को रोककर सदोष अवरोध कारित किया तथा उनके साथ कुन्द हथियार से मारपीट कर स्वेच्छया साधारण उपहतियां कारित की?**

(2) **यदि हां, तो उसका उचित दण्ड क्या होगा ?**

10. उक्त विचारणीय बिन्दु के संबंध में यदि पत्रावली पर आई साक्ष्य का समग्र विवेचन किया जावे तो इस संबंध में अभियोजन पक्ष के द्वारा न्यायालय के समक्ष प्रकरण की शिकायतकर्ता संतरा देवी को पी डब्ल्यू 1 के रूप में परीक्षित करवाया है जिसने मुख्य परीक्षण में न्यायालय के समक्ष यह कथन किये हैं कि करीब डेढ़ साल पहले सुबह दस बजे की बात है। उसके घर के सामने सड़क का काम चल रहा था। वह ठेकेदार से सड़क को सही कराने का काम करा रही थी। उसी समय अरूण कुमार उर्फ पिंकेश आया और उसको गाली–गलौच करते हुए उसका गला पकडकर उसके साथ मारपीट करने लगा जिससे उसके शरीर पर चोटें आई। उसको बचाने के लिए उसका लड़का सचिन आया। अरूण उर्फ पिंकेश ने सचिन के साथ लात घुसों से मारपीट की। उन्हें शिवप्रसाद ने अरूण उर्फ पिंकेश से बीच बचाव करके छुड़वाया। मारपीट से उसके बांये पैर व शरीर पर चोट आई थी और उसके लड़के के शरीर पर चोटें आई थी। उसके शरीर पर आई चोटों का मेडिकल हुआ था। इस घटना की उसने पुलिस थाना मुकुन्दगढ में उसके पति के साथ जाकर रिपोर्ट दर्ज करवायी थी, लेकिन थानाधिकारी ने रिपोर्ट दर्ज नहीं की। उसने रजिस्ट्र्ड डाक से एसपी महोदय को एक लिखित प्रार्थना पत्र दिया था, लेकिन फिर भी थानाधिकारी मुकुन्दगढ ने उसकी कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं की। इस कारण से रिपोर्ट दर्ज कराने में देरी हुई। फिर उसने इस घटना का परिवाद एसीजेएम महोदय, नवलगढ के समक्ष पेश किया। टाईपशुदा परिवाद प्रदर्श पी 01 है जिसके प्रत्येक पृष्ठ पर उसकी अंगूठा निशानी है। शपथ पत्र प्रदर्श पी 02 है जिस पर एक्स स्थान उसकी अंगूठा निशानी है। उक्त परिवाद पर उसका मुकदमा दर्ज हुआ। चाक एफआईआर प्रदर्श पी 03 है। उसके सामने पुलिस ने घटना स्थल का नक्शा मौका बनाया था जो प्रदर्श पी 04 है जिस पर एक्स स्थान पर उसकी अंगूठा निशानी है। उसने पुलिस थाना मुकुन्दगढ़ में दिनांक 20.10.2023 घटना के संबंध में जो प्रार्थना पत्र पेश किया था तथा रजिस्ट्र्ड एडी के साथ एसपी महोदय को एफआईआर दर्ज करने बाबत जो प्रार्थना पत्र दिनांक 04.11.2023 को पेश किया था जिनकी फोटो प्रतियां सलंग्न पत्रावली है।

दौराने जिरह उक्त गवाह ने यह कथन किए हैं कि घटना किस तारीख और वार की है उसे याद नहीं है। एफआईआर थाने के बाहर लिखवायी थी। एफआईआर किसने लिखी थी उसे नहीं पता। उससे तो एफआईआर पर हस्ताक्षर करवाये थे। वह अनपढ़ है। उसने एफआईआर नहीं पढ़ी थी। उसके कान की बाली टूटना लिखाया था वह सही लिखाया था। पुलिस बयान प्रदर्श डी 01 में उसके बयान नहीं हैं। घटना बहुत से लोगों ने देखी थी लेकिन उनके नाम वह नहीं जानती। वह ठेकेदार का नाम नहीं जानती। पुलिस ने नक्शा मौका किस तारीख को बनाया था उसे नहीं पता। वह हॉस्पीटल में मेडिकल कराने के लिए किस तारीख को गयी थी उसे ध्यान नहीं।

10.1 प्रकरण के आहत/चक्षुदर्शी गवाह पी०डब्ल्यू 02 सचिन ने अपने मुख्य परीक्षण में न्यायालय के समक्ष यह कथन किये हैं कि दिनांक 19.10.2023 को सुबह 10 बजे उसके घर के बाहर रोड बन रही थी। उसकी माता जी संतरा देवी वहां पर खडी थी और उनके घर की दीवार के पास रोड बनवा रही थी। इतने में वहां पर अरूण कुमार उर्फ पिंकेश आया और उसने आते ही उसकी माताजी के साथ थाप मुक्कों से मारपीट की। उसकी माताजी को बाल पकडकर घसीटने लगा। फिर वह घटना स्थल पर माताजी को छुडाने आया तो उसने उसके साथ भी लात–घूंसो से मारपीट की। मारपीट से उसके और उसकी माताजी के चोट लगी। मारपीट से उसके हाथ, पैर, अंगूली और सिर पर कान की तरफ चोट लगी। उसकी माताजी संतरा देवी के पैरों में चोट आई थी। वहां पर उनका बीच बचाव करने शिव प्रसाद आया। उसके मम्मी पापा अगले दिन रिपोर्ट देने गये, लेकिन पुलिस ने रिपोर्ट लेने से मना कर दिया। उसकी माताजी ने एसपी को रिपोर्ट दी। उस पर भी कोई कार्यवाही नहीं हुई। फिर उसकी माताजी ने कोर्ट में इस्तगासा पेश किया जिससे मुकदमा दर्ज हुआ। उसके सामने पुलिस ने घटना स्थल का नक्शा मौका बनाया था जो प्रदर्श पी 04 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। उसके शरीर पर आई चोटों का मेडिकल हुआ था।

दौराने जिरह उक्त गवाह ने यह कथन किए हैं कि घटना के समय उसकी उम्र 17 वर्ष थी। सड़क स्कूल की तरफ से उनके घर की तरफ बन रही थी। सड़क बनाने वालों का नाम उसे नहीं पता। यह सही है कि घटना के समय वह स्कूल जाता था। उसे याद नहीं कि वह घटना के दिन स्कूल गया था या नहीं। यह कहना गलत है कि उस दिन वह स्कूल गया हो और छुट्टी के बाद अपने घर आया हो। यह सही बात है कि उसकी माताजी उनके घर की दीवार तक सड़क बनवाने के लिए उन्हें कहने गयी थी। अरुण कुमार उस समय कहां से उनके घर के पास आया था, इसका उसे नहीं पता। किस दिशा से आ रहा था मुझे नहीं पता। यह सही है कि प्रदर्श डी 02 में यह नहीं लिखा हुआ है कि घटना के समय वह कहां पर था। यह सही है कि प्रदर्श डी 02 में उसकी माता के बाल पकड़कर घसीटने के बात नहीं लिखी हुई है। उसने तो पुलिस को बताया था लेकिन पुलिस वालों ने क्यों नहीं लिखा इसका उसे नहीं पता। उसने अपने मुख्य परीक्षण में जो उसके चोटें जो हाथ, पैर, अंगुली और सिर पर कान की तरफ लगना बताया है वह उसके पुलिस बयान प्रदर्श डी 02 में नहीं लिखा है। जब पुलिस ने नक्शा मौका प्रदर्श पी 04 बनाया था उस दिन उसके बयान नहीं हुए थे। उसके दो तीन दिन बाद उसके बयान हुए थे। यह सही है कि प्रदर्श डी 04 जो नाम बताये है उनके मकान नहीं है। शिव प्रसाद जी का मकान

उसके मकान से 50 मीटर की दूरी पर है। शिव प्रसाद घटना के वक्त अपने घर पर क्या काम कर रहा था इसका उसे नहीं पता। उसके भी चोट लगी थी। उसके चोटें उ हाथ, पैर, अंगुली और सिर पर कान में लगी थी। उसके चोट से खून नहीं आया था। अजखुद कहा कि एक चोट पैर पर खून नहीं निकला था। डॉक्टर के पास पुलिस उन्हें लेकर नहीं गयी थी। डॉक्टर के द्वारा दो जगह चोट लगना गलत बताया गया है उसके चार जगह चोट लगी थी। डॉक्टर ने दो जगह लगने का चोट प्रतिवेदन गलत बनाया है।

10.2 प्रकरण के अन्य गवाह पी०डब्ल्यू 03 डॉ. चंद्र शेखर ने अपने मुख्य परीक्षण में न्यायालय के समक्ष यह कथन किये हैं कि वह दिनांक 11.01.2024 को सीएचसी मुकुंदगढ़ में चिकित्साधिकारी के पद पर पदस्थापित था। उस रोज उसने पुलिस तहरीर पर आहत संतरा देवी व सचिन कुमार के शरीर पर आयी चोटों का चोट प्रतिवेदन तैयार किया था। आहत संतरा देवी के शरीर पर निम्न चोटें थीः–

1. बांय पांव के आगे हिस्से में दो सूखे घाव थे जिनमें खरूंट था जो 1 गुणा 1 सेमी तथा दूसरा घाव 1 गुणा 8 सेमी का था जो सामान्य प्रकृति के थे। जिनकी डयूरेशन लगभग दो सप्ताह पूर्व की थी। आहता संतरा देवी की आईआर प्रदर्श पी 05 है जिस पर ए से बी आहता का पहचान चिह्न व सी से डी उसके हस्ताक्षर है।

आहत सचिन के शरीर पर निम्न चोटें थीः–

1. बांय कान के नीचे हिस्से पर सफेद धब्बे जो 0.2 गुणा 0.3 सेमी जो सामान्य प्रकृति की थी।
2. दायं हाथ के पिछले हिस्से चौथी व पांचवी अंगुली के पीछे 0.2 गुणा 0.2 सेमी जो सामान्य प्रकृति की थी। आहत सचित की आईआर प्रदर्श पी 06 है जिस पर ए से बी आहत का पहचान चिह्न व सी से डी उसके हस्ताक्षर है।

दौराने जिरह उक्त गवाह ने स्वीकार किया है कि आहतगण के शरीर पर आयी उक्त प्रकृति की चोटें गिरने पड़ने से भी आ सकती है।

10.3 प्रकरण के अन्य गवाह पी०डब्ल्यू 04 कानाराम ने अपने मुख्य परीक्षण में न्यायालय के समक्ष यह कथन किये हैं कि वह दिनांक 08.01.2024 को पुलिस थाना मुकन्दगढ में एचसी के पद पर पदस्थापित था। उस रोज माननीय एसीजेएम न्यायालय नवलगढ़ से परिवादी संतरा देवी द्वारा किया गया धारा 156 (3) सीआरपीसी का इस्तगासा जरिये डाक थाने में प्राप्त हुआ जिस पर थानाधिकारी श्री सरदारमल एसआई ने उसे 06/2023 अन्तर्गत धारा 341, 323, 379 में दर्ज कर अनुसंधान उसको सुपुर्द किया। इस्तागासा अन्तर्गत धारा 156 (3) सीआरपीसी है जिसके प्रत्येक पृष्ठ पर संतरा देवी की अंगूठा निशानी है, ए से बी थानाधिकारी के हस्ताक्षर है, सी से डी कार्यवाही पुलिस अंकित है। शपथ पत्र प्रदर्श पी 02 है जिस पर एक्स स्थान पर अंगूठा निशानी है। चाक एफआईआर प्रदर्श पी 03 है जिस पर ए से बी थानाधिकारी के डिजीटल हस्ताक्षर है जिनके अधीनस्थ कार्य करने के कारण वह उनके हस्ताक्षर पहचानता है। दौराने अनुसंधान उसने मौत बीरान के समक्ष घटना स्थल का नक्शा मौका बनाया जो प्रदर्श पी 04 है जिस पर ए से बी, सी से डी, गवाहों के हस्ताक्षर है तथा एक्स स्थान पर संतरा देवी की अंगूठा निशानी है ई से एफ उसके हस्ताक्षर है। पुस्त पर जी से एच हालत मौका अंकित है तथा ई से एफ उसके हस्ताक्षर है। दौराने अनुसंधान उसने गवाहान संतरा देवी, सचिन कुमार, शिव प्रसाद,

ताराचन्द के बयान उनके कहे अनुसार लेखबद्ध किये। आहतगण संतरा देवी व सचिन कुमार का चोट प्रतिवेदन तैयार करवाकर शामिल पत्रावली किया जो प्रदर्श कमशः पी 05 व पी 06 है। सम्पूर्ण तफ्तीश से उसने अभियुक्त अरूण कुमार उर्फ पिंकेश के विरूद्ध धारा 323, 341, आईपीसी का अपराध प्रमाणित मानकर पत्रावली एसएचओ साहब को सुपुर्द कर दी। जिन्होंने उक्त धाराओं में अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोप पत्र पेश किया।

दौराने जिरह उक्त गवाह ने स्वीकार किया है कि गवाह सचिन द्वारा उसकी माता के बाल पकड़कर घसीटने का कोई तथ्य उसके अनुसंधान में नहीं आया। घटना के समय सचिन कहां पर था यह उसके अनुसंधान में नहीं आया। सचिन के द्वारा चोट जो हाथ, पैर, अंगूली, सिर व कान की तरफ लगना यह उसके अनुसंधान में नहीं आया, मारपीट होना आया था। यह सही है कि घटना स्थल पर गवाहों के बयान लेने के लिए वह गया था तब लैपटॉप और प्रिंटर व अन्य मशीनरी का अंकन रोजनामचे में किया था वह आज पत्रावली में नहीं है। यह कहना गलत है कि रोजनामचे कॉपी पत्रावली में इसलिए नहीं लगाई क्योंकि रोजनामचे में अंकन नहीं किया हो। उक्त सभी गवाहों के धारा 161 के बयान लिये जाने का स्थान थाना परिसर मुकुन्दगढ़ लिखा हुआ है। यह कहना गलत है कि नक्शा घटना स्थल पर नहीं बनाया हो, बल्कि थाने में बैठकर बनाया हो। यह कहना गलत है कि नक्शा मौका पर गवाहों के हस्ताक्षर पहले ही खाली पेपर पर करा लिये हो।

11. हस्तगत प्रकरण में अभियुक्त अरूण कुमार उर्फ पिंकेश के विरुद्ध धारा 323, 341 भा.द.सं. के अपराध का आरोप है। इस संबंध में पत्रावली पर उपलब्ध समग्र साक्ष्य के अवलोकन से यह प्रकट आता है कि प्रकरण में परीक्षित परिवादिया संतरा देवी गवाह पीडब्ल्यू 01 के रूप में न्यायालय के समक्ष परीक्षित हुई है जिसने अपने मुख्य परीक्षण में उसके साथ अभियुक्त द्वारा मारपीट किए जाने के कथन किए हैं। उक्त गवाह ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह कथन किए हैं कि वह अनपढ़ है। उसने एफआईआर नहीं पढ़ी थी। पुलिस बयान प्रदर्श डी 01 उसके नहीं है। उक्त गवाह ने आगे कथन किया है कि घटना घटित होते हुए बहुत से लोगों ने देखी थी, परंतु उनमें से वह किसी को नहीं जानती है। मारपीट के दौरान शिवप्रसाद ने उसका बीच–बचाव कर उसको अभियुक्त से छुड़वाया था, परंतु हस्तगत प्रकरण में अभियोजन पक्ष की ओर से शिवप्रसाद को परीक्षित नहीं करवाया गया है जिससे उक्त गवाह की साक्ष्य संदेहास्पद प्रतीत होती है। इसके अतिरिक्त बरवक्त घटना आहत सचिन पीडब्ल्यू 02 के रूप में न्यायालय के समक्ष परीक्षित हुआ है जिसने दौराने मुख्य परीक्षण यह कथन किए हैं कि अरूण ने उसकी माताजी व उसके साथ मारपीट की थी। उसने पुलिस बयान प्रदर्श डी 02 में अपने चोट आना जाहिर नहीं किया है। आगे गवाह ने कथन किया है कि रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए उसके माता–पिता गये थे, परंतु उसके पिता कुरड़ाराम ने न्यायालय के समक्ष घटना की ताईद नहीं की है तथा ना ही अभियोजन पक्ष द्वारा कुरड़ाराम को हस्तगत प्रकरण में साक्षी के रूप में परीक्षित करवाया गया है। इस प्रकार उक्त गवाह की साक्ष्य भी हस्तगत प्रकरण में संदेहास्पद प्रतीत होती है। गवाह पीडब्ल्यू 03 डॉ. चंद्रशेखर हस्तगत प्रकरण में चिकित्साधिकारी है जिन्होंने अपने प्रतिपरीक्षण में आहतगण के चोटें गिरने पड़ने से आना बताया है। उक्त के संबंध में चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी 05 व पी 06 का अवलोकन करें तो उक्त चोट प्रतिवेदन दिनांक 11.01.2024 को

घटना के लगभग तीन महीने बाद बनाया गया है जिससे तीन महीने तक आहतगण के आयी चोटों का, जो कि साधारण प्रकृति की है, उनके शरीर पर होना संदेहास्पद प्रतीत होता है। अभियोजन की ओर से परीक्षित किसी भी गवाह द्वारा घटना के संबंध में कोई संपुष्टिकारक साक्ष्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं की हैं। अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित किसी भी गवाह द्वारा अभियुक्त की बरवक्त घटना घटनास्थल पर उपस्थित होने तथा आरोपित अपराध कारित किए जाने के संबंध में युक्तियुक्त संदेह से परे साक्ष्य न्यायालय के समक्ष नहीं दी है।

12. इस प्रकार उपरोक्त विवेचनानुसार अभियुक्त अरूण कुमार उर्फ पिंकेश के विरुद्ध अभियोजन पक्ष यह तथ्य संदेह से परे साबित करने में पूर्ण रूप से असफल रहा है कि अभियुक्त ने दिनांक 19.10.2023 को समय 10.00 एएम बजे या उसके लगभग ग्राम नाहरसिंघानी में परिवादिया संतरा देवी की व उसके पुत्र सचिन कुमार को रोककर सदोष अवरोध कारित किया तथा उनके साथ कुन्द हथियार से मारपीट कर स्वेच्छया साधारण उपहतियां कारित की। ऐसी स्थिति में अभियुक्त अरूण कुमार उर्फ पिंकेश को आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 323, 341 भारतीय दण्ड संहिता के अपराध के आरोपों में साक्ष्य के अभाव में **दोषमुक्त** घोषित किया जाता है।

–आदेश–

13. एतदद्वारा **अभियुक्त अरूण कुमार उर्फ पिंकेश पुत्र भागीरथमल, उम्र 29 वर्ष, निवासी नाहरसिंघानी, पुलिस थाना मुकुंदगढ़, जिला झुंझुनूं, राजस्थान** को अपराध अंतर्गत धारा धारा 323, 341 भारतीय दण्ड संहिता में संदेह का लाभ दिया जाकर **दोषमुक्त** घोषित किया जाता है। अभियुक्त की ओर से उपस्थिति बाबत पूर्व में प्रस्तुत प्रतिभू एवं बंधपत्र एतदद्वारा तत्क्षण भार से उन्मोचित किये जाते है।

14. अभियुक्त को धारा 437 ए दं.प्र.सं. के प्रावधानों की पालना में 06 माह की अवधि के लिए प्रभावी 10,000/– रुपये की राशि की जमानत एवं इसी कदर राशि स्वयं का मुचलका पेश कर तस्दीक करवाने के आदेश दिये जाते है।

(**सतीश फानिन**)
न्यायाधिकारी
ग्राम न्यायालय, नवलगढ
जिला झुन्झुनूं, राजस्थान।

15. निर्णय आज दिनांक **06 अगस्त, 2026** को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया और हस्ताक्षरित किया जाकर मुद्रांकित किया गया। निर्णय की प्रति अविलम्ब सी.आई.एस. पर अपलोड की जावे।

(**सतीश फानिन**)
न्यायाधिकारी
ग्राम न्यायालय, नवलगढ
जिला झुन्झुनूं, राजस्थान।

Signature Not Verified
Digitally signed by
Date: 2026.08.12 14:44:48 IST